



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India



11 अप्रैल 2025

आदेश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के अंतर्गत आदेश जिसमें कि भारत के गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी और सेवाओं के लिए व्यापक सूचकांक (कंप्रीहेंसिव इंडेक्स) और रेटिंग ढांचे (फ्रेमवर्क) की तैयारी हेतु जानकारी मांगी गई है।


एफ.सं.सी-11/(1)/2024-बीबीपीए-भाग(2) चूंकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे इसके बाद "ट्राई अधिनियम, 1997" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत स्थापित, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है जैसे कि लाइसेंस की शर्तों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना; दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; दूरसंचार सेवा के लिए दरें अधिसूचित करना आदि-आदि ।

2. और अब जबकि प्राधिकरण ने भारत के गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी और सेवाओं के लिए एक व्यापक सूचकांक और रेटिंग ढांचा विकसित करने का निर्णय लिया है।

3. और अब जबकि इस तरह के सूचकांक को तैयार करने के लिए विभिन्न दूरसंचार संकेतकों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, जैसे दूरसंचार कवरेज, सेवा की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं द्वारा डेटा खपत, सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जाने वाले न्यूनतम मासिक टैरिफ आदि-आदि

4. और चूंकि पैरा 2 में उल्लिखित सूचकांक तैयार करने तथा विभिन्न दूरसंचार संकेतकों के मूल्यांकन के लिए प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं से सूचना वार्षिक आधार पर प्राप्त करने आवश्यकता होगी;

5. इसलिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 12 के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी सेवा प्रदाताओं से अनुरोध करता है कि वे प्राधिकरण के अनुलग्नक के अनुसार वार्षिक रूप से, मार्च 2025 के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, और उसके बाद हर साल मार्च के अंत से तीस दिनों के भीतर, सॉफ्ट कॉपी में या ऑनलाइन, जैसा भी मामला हो, जानकारी प्रस्तुत करें।


(अतुल कुमार चौधरी) 11/4/25
सचिव, भादूविप्रा

सेवा में

1. सभी सेवा प्रदाता
2. सभी आईएसपी
3. सभी सेटेलॉइट कम्यूनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर

Format for Technology wise coverage, Subscriber and Data Consumption

Reporting Year:																													
Name of the Service Provider:																													
State Code	State Name	District Code	District Name	Subdistrict Code	Subdistrict Name	Village Code	Village Name	Coverage Technology (Yes/No)				Subscriber count as on March.....				Data consumption GB/month in March				% of mobile service coverage with respect to village boundary map as per survey of India	Village Serving Cell Global IDs(CGI) [The CGI shall be exactly same as reported for Cell Master and downtime under QoS regulations]								
								cellular		Satellite	Wireline Broadband (FTTH)	cellular		Satellite	Wireline Broadband (FTTH)	cellular		Satellite	Wireline Broadband (FTTH)		CGI-1	CGI-2	CGI-3	CGI-...	CGI-n				
								Mobile	Fixed Wireless Access			Mobile	Fixed Wireless Access			Mobile	Fixed Wireless Access												
										9	10			11	12			13	14		15	16	17	18	19	20	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26					

Explanatory Note:

- i) Sl.No. 1 to 8 are as per local Govt. directory provided by TRAI.
- ii) **Subscriber Count:** The total customer count based on billing/accounting data of the customers corresponding to the village and technology.
- iii) **Data Consumption:** Aggregate Data Consumption in GB for the month based on billing/accounting data corresponding to all customers of the village and technologies.
- iv) % of Mobile Service Coverage implies mobile service availability in the village areas and is measured in terms of % village area covered by mobile technologies. Licensees are required to enter relevant coverage data.
- v) Under 'Coverage Technology' place 'Y' if services are delivered in the village using that technology else leave blank or use 'N'
- vi) The CGIs for 'Village Serving Cell Global IDs(CGI)' shall be exactly same as are being reported for Cell Master and downtime under revised QoS regulations regulations, 2024